



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-02012021-224111
CG-DL-W-02012021-224111

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 2—जनवरी 8, 2021 (पौष 12, 1942)
No. 1] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 2—JANUARY 8, 2021 (PAUSA 12, 1942)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

श्रम और रोजगार मंत्रालय
(कर्मचारी राज्य बीमा निगम)

नई दिल्ली, दिनांक 23 नवम्बर 2020

सं. ए-12/11/20/आयुश-भ.वि./2018-चि.-VI—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप-धारा (2) के खण्ड (xxi) और उप-धारा (2क) के साथ पठित उक्त धारा की उप-धारा (1) और धारा 17 की उप-धारा (2) एवं (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम चिकित्सा अधिकारी (होमियोपैथी) भर्ती विनियम, 2009 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई अथवा किए जाने से छूट गई बातों के अलावा, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, एतद्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम में चिकित्सा अधिकारी (होमियोपैथी) और वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (होमियोपैथी) पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः—

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ— (1) ये विनियम कर्मचारी राज्य बीमा निगम, चिकित्सा अधिकारी (होमियोपैथी) और वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (होमियोपैथी), समूह 'क' पद, भर्ती विनियम, 2020 कहे जाएंगे।
(2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- अनुप्रयोज्यता - ये विनियम, इन विनियमों में संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल— पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में लेवल, उक्त अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि— उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
5. जिन पदों के लिए सीधी भर्ती निर्धारित है, उनके संबंध में चयन बोर्ड का संघटन, चयन प्रक्रिया आदि :

(1) चयन बोर्ड :

(i) चयन बोर्ड में शामिल होंगे :—

- (क) सचिव या अपर सचिव, भारत सरकार के दर्जे का अंशकालिक अध्यक्ष, जो अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के विशिष्ट पूर्व अनुमोदन से सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार या महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा नियुक्त किए जाएंगे।
- (ख) जिस विषय या विशेषीकृत क्षेत्र के संबंध में भर्ती की जानी है, उससे जुड़े दो चिकित्सा विशेषज्ञ जो महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा इस प्रयोजनार्थ अनुरक्षित विशेषज्ञों के पैनल से, अध्यक्ष, चयन बोर्ड द्वारा चुने जाएंगे।
- (ग) चिकित्सा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली में विभागीय प्रतिनिधि होंगे और अन्य राज्यों के मामले में, संबंधित राज्यों के अपर आयुक्त या क्षेत्रीय निदेशक विभागीय प्रतिनिधि होंगे। यदि किसी कारण से ये अधिकारी उपलब्ध नहीं होते हैं तो महानिदेशक किसी अन्य अधिकारी को विभागीय प्रतिनिधि के रूप में नामित कर सकते हैं।
- (ii) अंशकालिक अध्यक्ष की पदावधि सामान्यतः चयन बोर्ड के गठन की तिथि से एक वर्ष की होगी। हालांकि, उनकी अवधि को अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के विशिष्ट पूर्व अनुमोदन से महानिदेशक द्वारा घटाया या बढ़ाया जा सकता है।
- (iii) अंशकालिक अध्यक्ष और चिकित्सा विशेषज्ञ यात्रा भत्तों, बैठक शुल्क आदि के हकदार होंगे, जो सरकार द्वारा निर्धारित दरों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर महानिदेशक द्वारा नियत किए जाएंगे।

(2) चयन की प्रक्रिया एवं रीति :—

(क) अनुसूची में शामिल पदों पर सीधी भर्ती, जहां भी लागू हो, सामान्यतः अखिल भारतीय स्तर पर होने वाली लिखित परीक्षा के बाद पात्र और सफल अभ्यर्थियों के साक्षात्कार पर आधारित होगी।

यदि अलग भर्ती प्रक्रिया अपनाना आवश्यक हो जाता है, तो अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम का विशिष्ट पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के बाद महानिदेशक द्वारा उसे अपनाया जाएगा। हालांकि, यदि विज्ञापन में एक बार भर्ती प्रक्रिया अधिसूचित हो जाती है, तो बाद में उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

(ख) साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का निर्णय अध्यक्ष, चयन बोर्ड द्वारा रिक्तियों की संख्या एवं निर्धारित अपेक्षाओं को पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को ध्यान में रखकर किया जाएगा।

(ग) मात्र आयु, अर्हता, अनुभव आदि निर्धारित अपेक्षाओं की पूर्ति अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु बुलाने या विज्ञापित पद पर किसी भी दावे के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है।

(घ) आवेदनों के संबंध में विज्ञापन जारी करने तथा अध्यक्ष, चयन बोर्ड को प्रस्तुत करने हेतु आवेदनों के प्रक्रमण से संबंधित सभी कार्यों को महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

(ङ) चयन बोर्ड को आवश्यक सचिवीय सहयोग महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम कार्यालय द्वारा प्रदान किया जाएगा।

6. निरर्हता— ऐसा कोई व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने का करार किया है, जिसका विवाहिती जीवित है; अथवा

(ख) जिसने अपने विवाहिती के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह करने का करार किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वे किसी व्यक्ति पर इस विनियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेंगे।

7. शिथिलता प्रदत्त करने की शक्ति— जहां कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक की राय में ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वे तत्संबंधी कारणों को लेखबद्ध करके तथा अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के पूर्व विशिष्ट अनुमोदन के पश्चात् व्यक्तियों की किसी श्रेणी अथवा वर्ग के संबंध में इन विनियमों के किसी भी उपबंध में आदेश द्वारा शिथिलता दे सकते हैं।

8. अवशिष्ट मामले - इन विनियमों के उपबंधों के अध्यक्षीन कर्मचारी राज्य बीमा निगम (भर्ती) विनियमन, 1965, समय-समय पर यथासंशोधित, में निर्दिष्ट सभी अन्य विनियम और शर्तें, कर्मचारी राज्य बीमा निगम में पदों की तदनुसूची श्रेणियों के लिए लागू होंगी, इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट पदों पर लागू होगी।

9. व्यावृत्ति— इन विनियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुरूप अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए प्रदान करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पदों का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	सीधी भर्ती होने वालों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी)।	14*(2020) *कार्यभार के आधार पर भिन्नता के अध्यक्षीन। होम्योपैथी संवर्ग अर्थात् वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी) तथा चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी) में पदों की कुल संख्या 14 है तथा इन पदों को पूर्वोक्त कुल सम्मिलित संस्वीकृत कार्मिक संख्या के भीतर प्रचालित किया जाना है।	समूह 'क', गैर-अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में लेवल-10 (56,100-1,77,500 रुपये) और केंद्रीय सरकार के समय-समय पर संशोधित आदेशों के अनुसार स्वीकार्य प्रैक्टिसबंदी भत्ता।	लागू नहीं।	पैंतीस वर्ष से अधिक नहीं। (केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों एवं सरकारी कर्मचारियों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिलनीय)। टिप्पणी : आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तिथि अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले तथा चंबा जिले का पांगी उप खंड, लद्दाख, अंडमान एवं निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप के संघ राज्य-क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित अंतिम तिथि।

सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त किए जाने वालों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती वालों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति पाने वालों के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा है तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
अनिवार्य अर्हता : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या सांविधिक राज्य बोर्ड या परिषद् या होम्योपैथी केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का 59) के अंतर्गत मान्यता प्राप्त समकक्ष से होम्योपैथी में डिग्री। (ii) होम्योपैथी के केंद्रीय रजिस्टर या होम्योपैथी के राज्य रजिस्टर में नामांकन हो। टिप्पणी 1 : अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिलनीय हैं। टिप्पणी 2 : अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में यदि चयन के किसी भी चरण पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय होती है कि इन समुदायों से अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न होने की आशंका है तो अनुभव संबंधी अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिलनीय हैं।	लागू नहीं।	दो वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पणी 1 : पदधारियों द्वारा एक वर्ष अथवा अधिक की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर बाहर होने अथवा लंबी बीमारी अथवा अध्ययनार्थ छुट्टी अथवा अन्य किसी परिस्थिति के अंतर्गत रिक्तियां केंद्र सरकार या राज्य सरकार या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या अर्ध सरकारी या स्वायत्त या सांविधिक संगठन के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) आधार पर भरी जाएगी। (क) नियमित आधार पर अनुरूप पदधारी; तथा (ख) कॉलम (7) के अंतर्गत सीधी भर्तियों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता धारक। टिप्पणी 2 : समान अथवा केंद्रीय सरकार के किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित अन्य संवर्ग बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। टिप्पणी 3 : प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा, आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तिथि पर 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाना है	यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	समूह 'क' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण के विचारार्थ) का गठन :- (1) चिकित्सा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम —अध्यक्ष (2) उप चिकित्सा आयुक्त (भारतीय चिकित्सा पद्धति), कर्मचारी राज्य बीमा निगम —सदस्य (3) अपर आयुक्त (चिकित्सा प्रशासन) या निदेशक (चिकित्सा प्रशासन), कर्मचारी राज्य बीमा निगम —सदस्य	लागू नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी)।	14*(2020) *कार्यभार के आधार पर भिन्नता के अध्यक्षीन। होम्योपैथी संवर्ग अर्थात् चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी) तथा वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी) में पदों की कुल संख्या 14 है तथा इन पदों को पूर्वोक्त कुल सम्मिलित संस्वीकृत कार्मिक संख्या के भीतर प्रचालित किया जाना है।	समूह 'क', गैर-अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में लेवल-11 (67,700-2,08,700 रुपये) और केंद्रीय सरकार के समय-समय पर संशोधित आदेशों के अनुसार स्वीकार्य प्रैक्टिसबंदी भत्ता।	चयन।	लागू नहीं।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	रिक्तियों पर विचार किए बिना चयन आधार पर पदोन्नति द्वारा।

(11)	(12)	(13)
चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी) से पदोन्नति के लिए वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 में (56,100-1,77,500) में चार* वर्ष की नियमित सेवा। टिप्पणी 1 : वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी) के पद पर पदोन्नति के लिए अभ्यर्थी ने पद के कर्तव्यों तथा कौशल विकास, आदि के क्षेत्र में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के प्रशिक्षण संस्थान अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णीत किसी संस्थान से प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया हो। जिन व्यक्तियों की सेवानिवृत्ति दो वर्ष के भीतर होनी नियत है, उन्हें ऐसे प्रशिक्षण को पूर्ण करने से छूट प्राप्त होगी। बशर्ते विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की तिथि से पूर्व जिन व्यक्तियों ने पदोन्नति हेतु प्रशिक्षण पूर्ण नहीं किया है, उन पर भी इस शर्ताधीन विचार किया जाएगा कि विभागीय पदोन्नति समिति बैठक की तिथि के एक वर्ष के भीतर अपेक्षित प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया जाएगा। टिप्पणी 2 : जहां पदोन्नति के लिए अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठों पर विचार किया जा रहा है, वहां उनके वरिष्ठों की पदोन्नति पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते अपेक्षित अर्हक अथवा पात्रता सेवा ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो तथा उन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूर्ण कर चुके अपने कनिष्ठों के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली हो। *टिप्पणी 3: चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर तथा अध्ययन प्रयोजन से इतर कारणों से ली गई असाधारण छुट्टी को अर्हक सेवा में शामिल नहीं किया जाएगा।	समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति के विचारार्थ) का गठन :- (1) चिकित्सा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम —अध्यक्ष (2) उप चिकित्सा आयुक्त(भारतीय चिकित्सा पद्धति), कर्मचारी राज्य बीमा निगम —सदस्य (3) अपर आयुक्त(चिकित्सा प्रशासन) या निदेशक(चिकित्सा प्रशासन), कर्मचारी राज्य बीमा निगम —सदस्य	लागू नहीं।

अनुराधा प्रसाद
महानिदेशक

दिनांक 27 नवम्बर 2020

सं. ए-12/11/16/ट्रेसर-भ.वि.-/2017/चि.-VI—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप-धारा (2) के खण्ड (xxi) और उप-धारा (2क) के साथ पठित उक्त धारा की उप-धारा (1) और धारा 17 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम (परा-चिकित्सा पद) भर्ती विनियम, 2010 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई अथवा किए जाने से छूट गई बातों के अलावा, जहां तक कि वे ट्रेसर पद से संबंध रखते हैं में, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, एतद्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम में ट्रेसर के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ— (1) ये विनियम कर्मचारी राज्य बीमा निगम, ट्रेसर, भर्ती विनियम, 2020 कहे जाएंगे।
(2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
2. राष्ट्रीयता – अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए होना चाहिए :—
(क) भारत का नागरिक; अथवा
(ख) वह व्यक्तियों की ऐसी श्रेणियों से संबंध रखता/ रखती हो जो इस संबंध में भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की गई हो।
3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल— पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में लेवल, इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अन्य अर्हताएं, आदि— भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
5. शारीरिक स्वस्थता :—
(1) अभ्यर्थी का अच्छा मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य हो तथा वह किसी भी ऐसे शारीरिक विकार से मुक्त हो जिससे सेवा में एक अधिकारी/ कर्मचारी के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न होने की आशंका हो।
(2) अभ्यर्थी जो महानिदेशक द्वारा निर्धारित इस प्रकार की शारीरिक परीक्षा के पश्चात् इस विनियम के खंड (1) की आवश्यकता को संतोषजनक रूप से पूर्ण करता नहीं पाया जाता है, तो नियुक्त नहीं किया जाएगा।
टिप्पणी : शारीरिक स्वस्थता तथा अभ्यर्थी की परीक्षा कर उसे नियुक्ति हेतु शारीरिक रूप से स्वस्थ घोषित करने के लिए सक्षम चिकित्सा प्राधिकारियों हेतु मानदंड केंद्रीय सरकार के अधीन तदनुसूची नियुक्ति के समान ही होगा।
6. निरर्हता— ऐसा कोई व्यक्ति—
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने का करार किया है, जिसका विवाहिती जीवित है; अथवा
(ख) जिसने अपने विवाहिती के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह करने का करार किया है,
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।
परन्तु यदि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वे किसी व्यक्ति पर इन विनियमों के प्रचालन से छूट दे सकेंगे।
7. शिथिलता प्रदत्त करने की शक्ति— जहां कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक की राय में ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वे तत्संबंधी कारणों को लेखबद्ध करके तथा अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के पूर्व विशिष्ट अनुमोदन के पश्चात् किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन विनियमों के किसी भी उपबंध में आदेश द्वारा शिथिलता दे सकते हैं।
8. व्यावृत्ति— इन विनियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुरूप अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए प्रदान करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	सीधे भर्ती होने वालों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ट्रेसर	287*(2020) *कार्यभार के आधार पर भिन्नता के अध्यक्षीन।	समूह 'ग', गैर-अनुसचिवीय	लेवल-3 (21,700-69,100 रुपये)	गैर चयन-	18 से 25 वर्ष के मध्य (केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों के लिए वर्ग 'ग' पदों के लिए सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति हेतु 40 वर्ष तक शिथिलनीय) टिप्पणी : आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तिथि भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी (न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उप खंड, लद्दाख, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह अथवा लक्षद्वीप के संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित अंतिम तिथि)।

सीधे भर्ती होने वालों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती होने वालों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हता पदोन्नति वालों के मामलों में भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की विधि, क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा है और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
अनिवार्य अर्हता : 1.मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12 वीं उत्तीर्ण; 2.किसी मान्यता प्राप्त या पंजीकृत अस्पताल या परिचर्या गृह (नर्सिंग होम) में घावों की मरहम-पट्टी का तीन वर्ष का अनुभव। टिप्पणी 1 : अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में अर्हता सक्षम अधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है। टिप्पणी 2 : अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में यदि चयन के किसी भी चरण पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय होती है कि इन समुदायों से अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न होने की आशंका है तो अनुभव संबंधी अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिलनीय है।	आयु- नहीं शैक्षिक अर्हता – हाँ	सीधी भर्ती हेतु दो वर्ष	100% पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा

पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाना है	यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है	परिस्थितियां जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
(11)	(12)	(13)
पदोन्नति: 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के साथ विभागीय नर्सिंग अर्दली तथा वेतन मैट्रिक्स के लेवल-1 में (18,000-56,900) में छः वर्ष की नियमित सेवा जिसमें से 3 वर्ष का घावों की मरहम-पट्टी का अनुभव अनिवार्य है। टिप्पणी 1 : ड्रेसर के पद पर पदोन्नति के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम के प्रशिक्षण संस्थान अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णीत संस्था से पद की ड्यूटियों तथा कौशल विकास आदि क्षेत्र में अभ्यर्थी का प्रशिक्षण पूरा होना चाहिए। जिन व्यक्तियों की सेवानिवृत्ति दो वर्ष के भीतर होनी नियत है, उन्हें ऐसे प्रशिक्षण के पूर्ण करने से छूट प्राप्त होगी। बशर्ते विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की तिथि से पूर्व पदोन्नति हेतु जिन व्यक्तियों ने प्रशिक्षण पूर्ण नहीं किया, उन पर भी इस शर्ताधीन विचार किया जाएगा कि विभागीय पदोन्नति समिति बैठक की तिथि के एक वर्ष के भीतर अपेक्षित प्रशिक्षण पूरा कर लिया जाएगा। टिप्पणी 2 : जहां पदोन्नति के लिए अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठों पर विचार किया जा रहा है, वहां उनके वरिष्ठों की पदोन्नति पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते अपेक्षित अर्हक अथवा पात्रता सेवा ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो तथा उन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर चुके अपने कनिष्ठों के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति के विचारार्थ) का गठन :- (1) अपर निदेशक, निदेशालय(चिकित्सा) अथवा चिकित्सा अधीक्षक अथवा उप चिकित्सा अधीक्षक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल —अध्यक्ष; (2) निदेशक अथवा संयुक्त निदेशक अथवा उप निदेशक अथवा सहायक निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल —सदस्य; (3) चिकित्सा अधिकारी से संबंधित विशेषज्ञता अधिमानतः (केंद्रीय अथवा राज्य सरकार से बाह्य नामिति) —सदस्य. समूह 'ग' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण के विचारार्थ) का गठन :- (1) अपर निदेशक, निदेशालय(चिकित्सा) अथवा चिकित्सा अधीक्षक अथवा उप चिकित्सा अधीक्षक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल —अध्यक्ष; (2) निदेशक अथवा संयुक्त निदेशक अथवा उप निदेशक अथवा सहायक निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल —सदस्य; (3) चिकित्सा अधिकारी से संबंधित विशेषज्ञता अधिमानतः (केंद्रीय अथवा राज्य सरकार से बाह्य नामिति) —सदस्य.	लागू नहीं

अनुराधा प्रसाद
महानिदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 1 दिसम्बर 2020

सं. ए-12/11/21/भेषज(आयुष)-भ.वि./2018-चि.-VI—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप-धारा (2) के खण्ड (xxi) और उप-धारा (2क) के साथ पठित उक्त धारा की उप-धारा (1) और धारा 17 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम (पराचिकित्सा पद) भर्ती विनियम, 2010 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई अथवा किए जाने से छूट गई बातों के अलावा, जहां तक कि वे भेषज (आयुर्वेद) पद से संबंध रखते हैं मैं, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, एतद्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम में भेषज (आयुर्वेद) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ— (1) ये विनियम कर्मचारी राज्य बीमा निगम, भेषजज्ञ (आयुर्वेद), भर्ती विनियम, 2020 कहे जाएंगे।
(2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
2. राष्ट्रीयता- अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए होना चाहिए :—
(क) भारत का नागरिक; अथवा
(ख) वह व्यक्तियों की ऐसी श्रेणियों से संबंध रखता/रखती हो जो इस संबंध में भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की गई हों।
3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल— पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में लेवल, इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं, आदि— भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
5. शारीरिक स्वस्थता :—
(1) अभ्यर्थी का अच्छा मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य हो तथा वह किसी भी ऐसे शारीरिक विकार से मुक्त हो, जिससे सेवा में एक अधिकारी/कर्मचारी के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न होने की आशंका हो।
(2) अभ्यर्थी, जो महानिदेशक द्वारा निर्धारित इस प्रकार की शारीरिक परीक्षा के पश्चात् इस विनियम के खंड (1) की आवश्यकता को संतोषजनक रूप से पूर्ण करता नहीं पाया जाता है, तो नियुक्त नहीं किया जाएगा।
टिप्पणी : शारीरिक स्वस्थता तथा अभ्यर्थी की परीक्षा कर उसे नियुक्ति हेतु शारीरिक रूप से स्वस्थ घोषित करने के लिए सक्षम चिकित्सा प्राधिकारियों हेतु मानदंड केंद्रीय सरकार के अधीन तदनुसूची नियुक्ति के समान ही होगा।
6. निरर्हता— ऐसा कोई व्यक्ति—
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने का करार किया है, जिसका विवाहिती जीवित है; अथवा
(ख) जिसने अपने विवाहिती के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह करने का करार किया है,
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।
परन्तु यदि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वे किसी व्यक्ति पर इस विनियम के प्रचालन से छूट दे सकेंगे।
7. शिथिलता प्रदत्त करने की शक्ति— जहां कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक की राय में ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वे तत्संबंधी कारणों को लेखबद्ध करके तथा अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के पूर्व अनुमोदन से व्यक्तियों की किसी श्रेणी अथवा वर्ग के संबंध में इन विनियमों के किसी भी उपबंध में, आदेश द्वारा, शिथिलता दे सकते हैं।
8. व्यावृत्ति— इन विनियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुरूप अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए प्रदान करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	सीधी भर्ती होने वालों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
भेषजज्ञ (आयुर्वेद)।	54*(2020)	समूह 'ग',	वेतन मैट्रिक्स में लेवल-5	लागू नहीं।	18 से 25 वर्ष के बीच (केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी

	*कार्यभार के आधार पर के भिन्नता के अध्याधीन।	गैर-अनुसचिवीय।	(29,200-92,300 रुपये)		अनुदेशों या आदेशों के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय)। टिप्पणी : आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तिथि भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी (न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले तथा चंबा जिले का पांगी उप खंड, लद्दाख, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के संघ राज्य-क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित अंतिम तिथि।)
--	--	----------------	-----------------------	--	---

सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त किए जाने वालों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती वालों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति पाने वालों के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा है तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
अनिवार्य अर्हता : 1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान विधा (भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान या जीव विज्ञान) में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण; 2. केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से आयुर्वेद में बैचलर ऑफ फार्मेसी के साथ किसी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त आयुर्वेदिक औषधालय या अस्पताल में भेषजज्ञ के रूप में एक वर्ष का अनुभव। या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से आयुर्वेदिक फार्मेसी में डिप्लोमा (उक्त डिप्लोमा 2 वर्ष की अवधि से कम नहीं) के साथ केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त आयुर्वेदिक औषधालय या अस्पताल से भेषजज्ञ के रूप में तीन वर्ष का अनुभव। टिप्पणी 1 : अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिलनीय हैं। टिप्पणी 2 : अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में यदि चयन के किसी भी चरण पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय होती है कि इन समुदायों से अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न होने की आशंका है तो अनुभव संबंधी अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिलनीय हैं।	लागू नहीं।	दो वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पणी 1 : पदधारियों द्वारा एक वर्ष अथवा अधिक की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर बाहर होने अथवा लंबी बीमारी अथवा अध्ययनार्थ छुट्टी अथवा अन्य किन्हीं परिस्थितियों की वजह से उत्पन्न रिक्तियां केंद्र सरकार के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरी जाएंगी : (क) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सादृश पदधारी; तथा (ख) कॉलम (7) के अंतर्गत सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता धारक। (समान अथवा केंद्रीय सरकार के किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित अन्य संवर्ग बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा, आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तिथि पर 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाना है	यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	समूह 'ग' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण के विचारार्थ) का गठन :- (1) अपर निदेशक, निदेशालय (चिकित्सा) या चिकित्सा अधीक्षक या उप चिकित्सा अधीक्षक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल —अध्यक्ष (2) निदेशक या संयुक्त निदेशक या उप निदेशक या सहायक निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल —सदस्य (3) चिकित्सा अधिकारी विशेषतः संबंधित विशेषज्ञता से (केंद्रीय या राज्य सरकार से बाहर का नामांकित व्यक्ति) —सदस्य	लागू नहीं।

अनुराधा प्रसाद
महानिदेशक

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
(EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION)

New Delhi, the 23rd November 2020

No. A-12/11/20/Ayush-RR/2018-Med.-VI—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 97, read with clause (xxi) of sub-section (2) and sub-section (2A) of the said section and sub-section (2) and (3) of section 17 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in supersession of the Employees' State Insurance Corporation Medical Officer (Homoeopathy), Recruitment Regulations, 2009, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Employees' State Insurance Corporation hereby makes the following regulations regulating the method of recruitment to the posts of Medical Officer (Homeopathy) and Senior Medical Officer (Homeopathy) in Employees' State Insurance Corporation, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These regulations may be called the Employees' State Insurance Corporation, Medical Officer (Homoeopathy) and Senior Medical Officer (Homoeopathy), Group 'A' Posts, Recruitment Regulations, 2020.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Application. - These regulations shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these regulations.
3. Number of posts, classification and level in pay matrix. - The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.
4. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.-The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
5. Composition of Selection Board, procedure of Selection etc. in respect of posts for which direct recruitment is prescribed:
 - (1) Selection Board:
 - (i) The Selection Board shall consist of. -
 - (a) A part-time Chairman of the status of Secretary or Additional Secretary to the Government of India, who may be appointed by Secretary, Ministry of Labour and Employment, Government of India or the Director General, Employees' State Insurance Corporation, with the specific prior approval of the Chairman, Employees' State Insurance Corporation.
 - (b) Two Medical experts from the discipline or specialised field pertaining to which recruitment is to be made, who may be chosen by the Chairman, Selection Board from the panel of experts maintained for the purpose by the Director General, Employees' State Insurance Corporation.
 - (c) The Medical Commissioner, Employees' State Insurance Corporation will be the departmental representative in New Delhi and in case of other States, the Additional Commissioner or Regional Director of the respective States will be departmental representative. In case, these officers are not available for some reason then Director General can nominate some other officer as the departmental representative.
 - (ii) The term of office of the part-time Chairman shall ordinarily be one year from the date of constitution of the Selection Board. His term may, however, be curtailed or extended by the Director General, with the specific prior approval of the Chairman, Employees' State Insurance Corporation.
 - (iii) The part-time Chairman and the Medical Experts shall be entitled to traveling allowances, sitting fees etc. at much rates as may be fixed by the Director General from time to time keeping in view the rates prescribed by the Central Government.
 - (2) Procedure and manner of Selection. -
 - (a) Direct recruitment to the posts included in the schedule, wherever applicable, shall ordinarily be made at All India level on the basis of a written examination followed by an interview of eligible and successful candidates.

In case, it becomes necessary to adopt a different mode of recruitment, the same may be adopted by the Director General after obtaining specific prior approval of the Chairman, Employees' State Insurance Corporation. However, once a mode of recruitment is notified in the advertisement, no change shall be made subsequently.
 - (b) The number of candidates to be invited for interview shall be decided by the Chairman, Selection Board, keeping in view the number of vacancies and the number of applicants who satisfy the prescribed requirement.
 - (c) Mere fulfillment of the prescribed requirement of age, qualification, experience etc. will not confer any right on the applicant to be called for interview or to any claim over the post advertised.
 - (d) All work relating to issue of advertisement in respect of applications and processing of applications for submission to the Chairman, Selection Board will be handled by the office of the Director General, Employees' State Insurance Corporation.

(e) The Selection Board will be provided necessary Secretarial assistant by the office of the Director General, Employees' State Insurance Corporation.

6. Disqualification. - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Director General of the Employees' State Insurance Corporation may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

7. Power to relax. - Where the Director General of the Employees' State Insurance Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may, by order, for reasons to be recorded in writing and after obtaining specific prior approval of the Chairman, Employees' State Insurance Corporation, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.

8. Residuary Matters. - Subject to the provisions of these regulations all other regulations and conditions as specified in the Employees' State Insurance Corporation (Recruitment) Regulation, 1965 as amended from time to time applicable to the corresponding categories of posts in Employees' State Insurance Corporation shall apply to the posts specified in the Schedule annexed to these regulations.

9. Savings. - Nothing in these regulations shall affect reservation, relaxation of age- limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedules Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Medical Officer (Homeopathy).	14*(2020) *Subject to variation dependent on workload. The total number of posts in the Homeopathy cadre i.e. Senior Medical Officer (Homeopathy) and Medical Officer (Homeopathy) are 14 and these posts are to be operated within the aforesaid total combined sanctioned strength.	Group 'A', Non-Ministerial,	Level-10 in the pay matrix (Rs.56,100-1,77,500) plus non-practicing allowance admissible as per Central Government orders amended from time to time.	Not applicable.	Not exceeding thirty-five years. (Relaxable upto five years for employees of the Employees' State Insurance Corporation and Government servants in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential Qualification: (i) Degree in Homoeopathy of a recognised University or statutory State Board or Council or equivalent recognised under the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973). (ii) Enrolment on the Central Register of Homeopathy or State Register of Homeopathy. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Not applicable.	Two years.	By direct recruitment. Note 1: Vacancies caused by the incumbents being away on deputation or long illness or Study Leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled up on deputation (including short term contract) basis from officers of the Central Government or State Governments or Universities or recognized research institutions or public sector undertakings or Semi-Government or autonomous or statutory Organisations: (a) holding analogous posts on regular basis; and (b) possessing the educational qualifications prescribed for direct recruits under column number (7). Note 2: Period of deputation including period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of applications.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: - 1. Medical Commissioner, Employees' State Insurance Corporation —Chairman; 2. Deputy Medical Commissioner (Indian System of Medicine), Employees' State Insurance Corporation —Member; 3. Additional Commissioner (Medical Administration) or Director (Medical Administration), Employees' State Insurance Corporation —Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Senior Medical Officer (Homeopathy).	14* (2020) *Subject to variation dependent on workload. The total number of posts in the Homoeopathy Cadre i.e. Medical	Group 'A' Non-Ministerial.	Level-11 in pay matrix. (Rs. 67,700-2,08,700) plus non-practicing	Selection.	Not applicable.

	Officer (Homeopathy) and Senior Medical Officer (Homeopathy) are 14 and these posts are to be operated within the aforesaid total combined sanctioned strength.		allowance admissible as per Central Government orders amended from time to time.		
--	---	--	--	--	--

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion on selection basis without linkage to the vacancy

(11)	(12)	(13)
Promotion from Medical Officer (Homeopathy) with four* years regular service in level-10 (Rs. 56,100-1,77,500) in the pay matrix. Note 1: For promotion to the post of Senior Medical Officer (Homeopathy), the candidate should have completed the training in the field of duties of the post and skill development, etc. through Training Institute of Employees' State Insurance Corporation or at an institute decided by competent authority. Those persons who are due to retire within two years shall be exempted from completion of such training. Provided that those persons who have not completed training for promotion before the date of meeting of Departmental Promotion Committee shall also be considered subject to condition that the required training will be completed within one year of the date of meeting of Departmental Promotion Committee. Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. *Note 3: Extra Ordinary Leave availed for reasons other than on Medical Certificate and for Study purpose shall be excluded from the qualifying service.	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: - 1. Medical Commissioner, Employees' State Insurance Corporation -Chairman; 2. Deputy Medical Commissioner (Indian System of Medicine), Employees' State Insurance Corporation -Member; 3. Additional Commissioner (Medical Administration) or Director (Medical Administration), Employees' State Insurance Corporation -Member.	Not applicable.

ANURADHA PRASAD
Director General

The 27th November 2020

No. A-12/11/16/Dresser-RR/2017-Med.-VI—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 97, read with clause (xxi) of sub section (2) and sub section (2A) of the said section and sub-section (2) of section 17 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in supersession of the Employees State Insurance Corporation (Paramedical post), Recruitment Regulations, 2010 in so far as they relate to the post of Dresser, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Employees' State Insurance Corporation hereby makes the following regulations regulating the method of recruitment to the post of Dresser in Employees' State Insurance Corporation, namely:-

- Short title and commencement. - (1) These Regulations may be called the Employees' State Insurance Corporation, Dresser, Recruitment Regulations, 2020.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Nationality. - A candidate for appointment must be: -
 - a Citizen of India; or
 - he/she must belong to such categories of persons as may from time to time, be notified in this behalf by the Government of India in the Department of Personnel and Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions.

3. Number of post, classification and level in the pay matrix. - The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these regulations.
4. Method of recruitment, age -limit, other qualifications, etc.-The method of recruitment, age -limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
5. Physical fitness. - (1) A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the discharge of his duties as an officer/employee in the service.
- (2) A candidate who after such physical examination as the Director General may prescribe is found not to satisfy the requirement of clause (1) of this regulation will not be appointed.
- Note: The standard of physical fitness and the competent medical authorities to examine and declare a candidate physically fit for appointment, will be same as for corresponding appointment under the Central Government.
6. Disqualification. - No person,-
- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
- shall be eligible for appointment to the said post:
- Provided that the Director General of the Employees' State Insurance Corporation may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.
7. Power to relax.-Where the Director General of the Employees' State Insurance Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient so do to, he may, by order, for reasons to be recorded in writing, and with the prior approval of the Chairman, Employees' State Insurance Corporation, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.
8. Savings.- Nothing in these regulations shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedules Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the Pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Dresser	287* (2020) *Subject to variation dependent on workload	Group 'C', Non-Ministerial	Level-3 (₹ 21,700-69,100)	Non- Selection	Between 18 and 25 years. (Relaxable for employees of Employees' State Insurance Corporation upto 40 years for appointment by direct recruitment to Group 'C' posts in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note.- The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union Territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep)
Educational and other qualifications required for direct recruits		Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation or absorption to be made

	will apply in the case of promotees		absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Essential Qualification: 1. 12th class pass from a recognised Board or University; 2. Three years' experience of dressing of wounds in a recognized or registered Hospital or Nursing Home. Note 1.- Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidates otherwise well qualified. Note 2.- The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Age-No Educational Qualification -Yes.	Two years for direct recruitment.	100% by promotion failing which by direct recruitment.	PROMOTION: The departmental Nursing Orderly with 12th class pass and six years regular service in Level-1 in Pay Matrix (Rs. 18,000 – 56,900) out of which three years experience of dressing of wounds is mandatory. Note 1.-For promotion to the post of Dresser, the candidate should have completed the training in the field of duties and skill development, etc. through Training Institute of Employees' State Insurance Corporation or at an institute decided by Competent Authority. Those persons who are due to retire within two years shall be exempted from completion of such training. Provided that those persons who have not completed training for promotion before the date of meeting of Departmental Promotion Committee shall also be considered subject to condition that the required training will be completed within one year of the date of meeting of Departmental Promotion Committee. Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of- 1. Additional Director, Directorate (Medical) or Medical Superintendent or Deputy Medical Superintendent, Employees' State Insurance Corporation Hospital -Chairman; 2. Director or Joint Director or Deputy Director or Assistant Director, Employees' State Insurance Corporation Hospital -Member;	Not applicable.

3. Medical Officer preferably from specialty concerned (outside nominee from Central Government or State Government)	
-Member.	
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of-	
1. Additional Director, Directorate (Medical) or Medical Superintendent or Deputy Medical Superintendent, Employees' State Insurance Corporation Hospital	
-Chairman;	
2. Director or Joint Director or Deputy Director or Assistant Director, Employees' State Insurance Corporation Hospital	
-Member;	
3. Medical Officer preferably from specialty concerned (outside nominee from Central Government or State Government)	
-Member.	

ANURADHA PRASAD
Director General

The 1st December 2020

No. A-12/11/21/Pharm(Ayush)-RR/2018-Med.-VI—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 97, read with clause (xxi) of sub-section (2) and sub-section (2A) of the said section and sub-section (2) of section 17 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in supersession of the Employees State Insurance Corporation (Para Medical post), Recruitment Regulations, 2010, in so far as they relate to the post of Pharmacist (Ayurvedic), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Employees' State Insurance Corporation hereby makes the following regulations regulating the method of recruitment to the post of Pharmacist (Ayurvedic) in Employees' State Insurance Corporation, namely:-

- Short title and commencement.- (1) These Regulations may be called the Employees' State Insurance Corporation, Pharmacist (Ayurveda), Recruitment Regulations, 2020.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Nationality. - A candidate for appointment must be: -
(a) a Citizen of India; or
(b) he/she must belong to such categories of persons as may from time to time, be notified in this behalf by the Government of India in the Department of Personnel and Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions.
- Number of post, classification and level in the pay matrix. - The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these regulations.
- Method of recruitment, age -limit, other qualifications, etc.- The method of recruitment, age -limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- Physical fitness. - (1) A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the discharge of his duties as an officer/employee in the service.
(2) A candidate who after such physical examination as the Director General may prescribe is found not to satisfy the requirement of clause (1) of this regulation will not be appointed.
Note: The standard of physical fitness and the competent medical authorities to examine and declare a candidate physically fit for appointment, will be same as for corresponding appointment under the Central Government.
- Disqualification. - No person,-
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
shall be eligible for appointment to the said post:
Provided that the Director General of the Employees' State Insurance Corporation may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.
- Power to relax.-Where the Director General of the Employees' State Insurance Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient so do to, he may, by order, for reasons to be recorded in writing, and with the prior approval of the

Chairman, Employees' State Insurance Corporation, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.

8. Savings.- Nothing in these regulations shall affect reservation, relaxation of age- limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedules Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the Pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pharmacist (Ayurveda).	54* (2020) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'C', Non-Ministerial.	Level-5 in the pay matrix (Rs. 29,200-92,300).	Not applicable.	Between 18 and 25 years. (Relaxable for employees of Employees' State Insurance Corporation upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note.- The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, the Union Territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential qualification: 1. 12th Class passed with Science stream (Physics or Chemistry or Biology) from a recognised board and; 2. Bachelor of Pharmacy in Ayurveda from a Central Government or State Government recognised institute with one year experience as Pharmacist (Ayurveda) from any Central Government or State Government recognised Ayurvedic Dispensary or Hospital. OR Diploma in Ayurvedic Pharmacy(said diploma is not less than 2 years' duration) from a Central Government or State Government recognised institute with three years experience as Pharmacist (Ayurveda) from any Central Government or State Government recognised	Not applicable.	Two years.	By direct recruitment. Note.- Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from official of Central Government: (a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; and (b) possessing educational qualification and experience prescribed for direct recruits under column (7).

Ayurvedic Dispensary or Hospital. Note 1.- Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidates otherwise well qualified. Note 2.- The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.			(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application).
--	--	--	--

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of- 1. Additional Director, Directorate (Medical) or Medical Superintendent or Deputy Medical Superintendent, Employees' State Insurance Corporation Hospital. -Chairman; 2. Director or Joint Director or Deputy Director or Assistant Director, Employees' State Insurance Corporation Hospital. -Member; 3. Medical Officer preferably from specialty concerned (outside nominee from Central or State Government). -Member.	Not applicable.

ANURADHA PRASAD
Director General